मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 28.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,और राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान कोच्ची सांख्यिकी भर्ती नियम 2012 ,को जहाँ तक इसका संबंध सांख्यिकी पद से है। उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ,मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान में,सांख्यिकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकीतथा प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची सांख्यिकी (समूह 'ख' पद, अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** –उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है;या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पदहै अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सांख्यिकी	02*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35,400 -1,12,400/- रू.)।	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक न हो। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।(न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण1:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी

मास्टर डिग्री के साथ ही सांख्यिकी के साथ सांख्यिकी या गणित हो। टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। वांछनीयः किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सांखिकी आंकडे के संग्रहण या संकलन और निर्वचन का दो वर्ष का अनुभव।			या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारीजो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; और स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं रखता हो में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी। **टिप्पण2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रसंस्करण और विपणन),राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन -सदस्य 3. विपणन अधिकारी,राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 5-16/2021-प्रशा.V]

खाम खान सुआन, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 28th February, 2022.

G.S.R. 28.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi Statistician Recruitment Rules, 2012, in so far as it relates to the post of Statistician except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistician in the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Kochi, Statistician (Group 'B' post Non-gazetted) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No Person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Statistician.	02* (2022)	General Central	Level-6 in the pay	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age (Relaxable for Central Government Servants upto five

	*subject to variation dependent on workload.	Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	matrix (Rs.35400 - 112400).		years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Essential: Masters Degree in Statistics or Economics with Statistics or Mathematics with Statistics from a recognised University or institute. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Desirable:** Two years experience in collection or compilation and interpretation of statistical data in a recognised institute.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of central government holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department and possessing educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 2:**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Cochin. - Chairperson; 2. Deputy Director(Processing and Marketing), National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Cochin. - Member; and 3. Marketing Officer, National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training, Cochin. - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. 5-16 /2021-Admn.V].

KHAM KHAN SUAN, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 29.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधित) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (वैज्ञानिक समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020, के अनुसूची में, वैज्ञानिक 'घ' पद के क्रम संख्या 6, कॉलम (12) में शीर्ष 'आंतरिक स्क्रिनिंग समिति' तथा शीर्ष "मूल्यांकन बोर्ड" से पूर्व निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात –

"अनुमोदन प्राधिकारी- सचिव या अपर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग"।

[फा.संख्या ए.31017 / 01/2017-जी डबल्यूई (भाग- I)]

ए.के. साहू, अवर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में सा.का.नि. 35 दिनांक 10 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित हुआ था।